

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचनसदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.576/3/2017-एस.डी.आर.

दिनांक: 26 जुलाई, 2017

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित  
क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

**विषय- प्ररूप 26 में शपथ-पत्र-सभी कॉलमोंको भरना-तत्संबंधी।**

महोदय/महोदया,

मुझे रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग तथा अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13-09-13 के अनुसरण में जारी किए गए आयोग के दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के पत्र सं. 576/2013-एस.डी.आर. के संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। उसमें यह निदेश दिया गया है कि अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित है कि वे शपथ पत्र के सभी स्तम्भों को भरें और यदि किसी स्तम्भ के प्रति कोई विनिर्दिष्ट सूचना नहीं दी गई हो तो ऐसे स्तम्भ के सामने उपयुक्त अभ्युक्ति जैसे 'शून्य' 'लागू नहीं', या 'पता नहीं', जैसा भी उपयुक्त हो, प्रविष्ट की जानी चाहिए।

2. आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि प्ररूप-26 के फार्मेट के अंत में दी गई टिप्पणी-3 में, उपर्युक्त प्रकृति के मामलों के लिए केवल विकल्प 'शून्य' और 'लागू नहीं' के लिए संदर्भ दिए गए हैं और यह कि इससे उस परिस्थिति में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है जब अभ्यर्थी शपथ-पत्र में किसी भी स्तम्भ के प्रति 'पता नहीं' की प्रविष्टि करता है।

3. यह एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर संदर्भित निर्देशों के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह उचित मामलों में 'पता नहीं' की प्रविष्टि करें।

4. यह स्पष्टीकरण सभी रिटर्निंग अधिकारियों, जिनमें राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के निर्वाचनों के रिटर्निंग अधिकारी भी शामिल हैं, के ध्यान में लाया जाए। इसे राजनीतिक दलों के ध्यान में भी लाया जाए।

भवदीय,

ह./-

(के.एफ.विल्फ्रेड)

वरिष्ठ प्रधान सचिव

प्रतिलिपिप्रेषित: सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दल।